

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2022-23 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
125	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का भत्ता (भारित)	1000000
337	आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण	37336000
717	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	940000000
798	कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	100 *
979	क्रीड़ा परिसर	100 *
1222	मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण	100 *
1355	चिकित्सा शिक्षा संचालनालय	100 *
1395	छात्रावास	100 *
1400	विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	400 *
1473	जिला चिकित्सालय	2100000000
1479	जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना	150000000
2020	नगर और ग्राम निवेश	100 *
2320	निर्देशन और प्रशासन	100000000
2457	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	400000100
2474	पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार	600000
2533	हरियाली प्रसार योजना	7000000
2817	फसलों की सांख्यिकी में सुधार की योजना	700 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 1

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2022-23 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
3255	विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	21470000
3492	माध्यमिक शालाएं	3000000000
3542	मुख्य फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन संबंधी अनुमानों को समय पर भेजने की योजना	700 *
3569	मुख्यालय स्थापना व्यय	100 *
4327	सचिवालय	30000000
4557	सुदृढीकरण (सतह मजबूतीकरण)	5100 *
4639	मुख्यालय स्थापना	100 *
4855	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	3212500000
5063	ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान	170000
5146	टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	11156000
5205	रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	150000000
5371	नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण	30000100
5376	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रचार-प्रसार	150000000
5455	राजिम, गिरौदपुरी एवं लालपुर मेले आदि में जनसुविधायें उपलब्ध कराने हेतु अनुदान	100 *
5557	राज्य पशुचिकित्सा परिषद की स्थापना	200 *
5616	गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी का समन्वित विकास	100 *
5662	पालित प्रजाति के कृ मि पालको को टसर स्वस्थ डिम्ब समूह	7007000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 2

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2022-23 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
5805	मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण	100 *
6225	सेवादारों के मानदेय में वृद्धि	3348000
6367	खेल प्राधिकरण	100 *
6383	जल जीवन मिशन योजना	9008500000
6385	चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय	360000400
6386	चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय	1142804000
6495	ग्रामीण भूमिहीन कृषक न्याय योजना	87700000
6602	छत्तीसगढ़ रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (लोन-4)	300 *
6628	नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड	50000000
6646	छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक	219000000
6647	शक्ति सदन	200 *
6648	महिला सशक्तिकरण केन्द्र	500 *
6649	सखी निवास	200 *
6650	नारी अदालत	100 *
6652	स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निजी / सामुदायिक / सार्वजनिक / एस्पीरेशनल शौचालय	1800 *
6653	स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट	1800 *
6654	स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	1800 *

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा ।-3

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2022-23 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
6655	स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आईईसी एवं बिहेवियर चेंज	1800 *
6656	स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेव्हलपमेंट एवं नॉलेज मैनेजमेंट	1800 *
6681	छत्तीसगढ़ स्टेट जी.आई.एस. परियोजना	169000000
6683	भवनों के नियमितीकरण से प्राप्त आय का नगरीय निकायों को अनुदान	30000000
6686	यूनीफाईड डिजिटल एप्लीकेशन योजना (उदय - एसडीजी)	20000000
6689	छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	100 *
6697	छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग	3000000
6717	प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा संबंधी व्यय	200 *
6728	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	500 *
6827	भूजल एवं जल संरक्षण कार्य	5000000
6857	उद्योगों को ब्याज अनुदान	70000000
6884	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	2500000000
6885	प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्यप्राणी) कार्यालय की स्थापना	607752
7305	5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान	3414500000
7323	भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान	100 *
7350	एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम	100 *
7490	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	605893000

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 4

तृतीय अनुपूरक अनुमान 2022-23 में योजनावार प्रावधान

योजना क्रमांक एवं नाम		प्रावधान (रूपये में)
7620	उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	15700000
7706	अमृत मिशन	600 *
7787	ई-धरती	100 *
7807	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1155743000
7811	डॉयल 100/112	100 *
7842	आर.आर.पी. फेस - II	15800
7861	संचार क्रांति योजना	95600000
7892	भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु	650000000
7919	छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना	100 *
7972	घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत	191400000
7993	छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि से व्यय	2000000000
8050	छात्रवृत्तियां	1500000000
8674	राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुये व्ययों की प्रतिपूर्ति	7000000000
8716	केन्द्रीय सड़क निधि	1200000000
8716	केन्द्रीय सड़क निधि (अंतरण)	-600000000
9068	औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान	180000000
9369	महिला जागृति शिविर	10000000

योग

41436071652

नोट:* यह प्रतीक प्रावधान है, आवश्यक व्यय विभागीय बचत के समायोजन से किया जाएगा । - 5